

संख्या:-406/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 29/02/2024

विषय:- उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न विषयों पर Internship Program संचालित किये जाने हेतु ₹0 6.60 लाख की धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1118/का०अनु०/2023-24, दिनांक 16.02.2024 जिसके माध्यम से उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न विषयों पर Internship Program संचालित किये जाने हेतु कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनराशि ₹0 6.60 लाख की मांग की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आपदा पूर्व तैयारी, आपदा शमन एवं क्षमता निर्माण करने हेतु विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के कुल 10 विद्यार्थियों को 06 माह हेतु Internship Program के लिए ₹0 6,60,000/- (रुपये छः लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कैपेसिटी बिल्डिंग मानक मद-11 से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम एवं शर्तें

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
2. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
3. उक्त धनराशि का व्यय एम०एच०ए० के पत्र सं०-33-03/2020-एन०डी०एम०-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।
4. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
5. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय

विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

6. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एचके अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
8. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 6,60,000/- लाख (रु० छः लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखाशीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम
केवल

Date: 29-02-2024 18:12:07

Reason: Approved (राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव / नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
- 8- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

અનુ સચિવ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-06/03/2024

प्रेषण संख्या:- 406
आवंटन आदेश संख्या:- 001-406
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	660000 1305142369	660000 1305142369
	योग	वर्तमान प्रगामी	660000 1305142369	660000 1305142369

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः लाख साठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब तीस करोड़ इक्यावन लाख बयालीस हजार तीन सौ उनहत्तर

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन